रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1974] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2017/आषाढ़ 23, 1939
No. 1974] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2017/ASADHA 23, 1939

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2017

का.आ. 2215(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार, 'विद्युतकरघा कामगार समूह बीमा योजना' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) चला रही है जिसके अधीन स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युतकरघा कामगारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को भारत सरकार की हिस्सेदारी के रूप में प्रीमियम के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

और, इस स्कीम के अधीन विद्युतकरघा कामगारों की प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना के कारण मृत्यु, आंशिक और स्थायी नि:शक्तता की देशा में बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। विद्युतकरघा कामगारों को एक वर्ष की अवधि के लिए इस स्कीम के अधीन नामांकित किया जाता है जिसे वर्ष-प्रतिवर्ष आधार पर नवीनीकृत किया जाता है;

और, उपर्युक्त स्कीम, इस स्कीम के अधीन यथा-परिभाषित भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से उसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है;

और, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात –

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के अपने कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए किसी इच्छुक व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नही कराया है उसे 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह अपेक्षा करे वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं हैं वहां मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परंतु व्यष्टि को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे दिए जाएंगे, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) नीचे पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (2) में यथानिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अपने आवेदन की एक प्रति; और

(ख) (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस की पासबुक या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड या (iv) पासपोर्ट या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988

(1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालान अनुज्ञप्ति या (vi) राशन कार्ड या (vii) मनरेगा कार्ड या (viii) किसान फोटो पासबुक या (ix) सरकारी पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किए गए व्यक्ति के फोटो वाले पहचान का प्रमाणपत्र या (x) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा (xi) मंत्रालय द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज।

परंतु यह और कि मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से फायदा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से स्वयं सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-

(1) इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो उन्हें तारीख 30.06.2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों पर स्वयं नामांकन कराने की सलाह दी जा सकती है और उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण वह आधार के लिए नामांकन न करा पा रहा/रही हो तो मंत्रालय स्वयं अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और फायदाग्राही, मंत्रालय अथवा इसकी क्रियान्वयन एजेंसी अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वैब-पोर्टल के माध्यम से पद अभिहित अधिकारियों को पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक में यथानिर्दिष्ट अपने नाम, पते, मोबाइल नं. और अन्य ब्यौरे प्रदान करके आधार नामांकन के लिए अपने निवेदन को रजिस्टर कराएंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 3/1/2016-पीएल]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2017

S.O. 2215(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Group Insurance Scheme for Power loom Workers** (hereinafter referred to as the Scheme) under which financial assistance in the form of premium (hereinafter referred to as the benefit) as Government of India share is paid to Life Insurance Corporation of India (LICI) for insurance cover of the Power loom Workers (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the Scheme guidelines;

And whereas, under the Scheme, Power loom workers are provided insurance cover in case of natural death, accidental death as well as partial and permanent disability due to accident. Powerloom workers are enrolled under the Scheme for a period of one year which is renewed on year to year basis;

And whereas, the aforesaid Scheme is implemented by the Office of the Textile Commissioner through its Regional offices (hereinafter referred to as the Implementing Agency) in collaboration with Life Insurance Corporation of India as defined under the Scheme;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Identity card issued by Office of Development Commissioner Handlooms, Ministry of Textiles or the State Governments; or (xi) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry itself through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the

nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries shall register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or its Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3/1/2016-PL]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2017

का.आ. 2216(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार उत्पादन किए जा रहे फैब्रिक की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार करने के लिए कतिपय अतिरिक्त अटैचमेंट या किट लगाकर विद्युतकरघा कामगारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को वित्तीय सहायता प्रदान करके सर्वांगीण तरीके से विद्युतकरघा क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से 'एसएसआई विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए साधारण विद्युतकरघा स्व-स्थाने उन्नयन' स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) चला रही है और यह स्कीम, इस स्कीम के अधीन यथापरिभाषित वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से उसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है;

और, इस स्कीम के अधीन सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के आवेदकों (जिसे इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से फायदाग्राही कहा गया है) के लिए प्रतिकरघा क्रमश: 40000 रुपए, 60000 रुपए और 72000 रुपए तक की अधिकतम सहायिकी के लिए फायदाग्राहियों को उन्नयन की लागत का 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, नामत:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के अपने कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए किसी इच्छुक व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है अथवा जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है उसे 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह अपेक्षा करे वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं हैं वहां मंत्रालय, अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) नीचे पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (2) में यथानिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अपने आवेदन की एक प्रति; और

(ख) (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस की पासबुक या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड या (iv) पासपोर्ट या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालान अनुज्ञप्ति या (vi) राशन कार्ड या (vii) मनरेगा कार्ड या (viii) किसान फोटो पासबुक या (ix) सरकारी पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किए गए व्यक्ति के फोटो वाले पहचान का प्रमाणपत्र या (x) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा (xi) मंत्रालय द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज।

परंतु यह और कि मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से फायदा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से स्वयं सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात-

(1) इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो उन्हें तारीख 30.06.2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों पर स्वयं नामांकन कराने की सलाह दी जा सकती है और उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण वह आधार के लिए नामांकन न करा पा रहा/रही हो तो मंत्रालय स्वयं अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और फायदाग्राही, मंत्रालय अथवा इसकी क्रियान्वयन एजेंसी अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वैब-पोर्टल के माध्यम से पद अभिहित अधिकारियों को पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक में यथानिर्दिष्ट अपने नाम, पते, मोबाइल नं. और अन्य ब्यौरे प्रदान करके आधार नामांकन के लिए अपने निवेदन को रजिस्टर कराएंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 3/1/2016-पीएल]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2017

S.O. 2216(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Integrated Scheme for Powerloom Sector Development (ISPSD)** (hereinafter referred to as the Scheme) for holistic development of the Powerloom sector under which financial assistance of about Rupees 4000/- on an average per weaver (hereinafter referred to as the benefits) is given to the Powerloom workers (hereinafter referred to as the beneficiaries) for their exposure visits as per the Scheme guidelines;

And whereas, under the Scheme, the Powerloom weavers in different clusters are encouraged to go on exposure visits to other developed clusters to get themselves acquainted with the benefit of upgraded technology, diversified products and the marketing techniques adopted in those clusters;

And whereas, the Office of the Textile Commissioner through its Regional offices (hereinafter referred as to the Implementing Agency) assists the Powerloom weavers during the exposure visits and facilitates effective and meaningful interaction;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(c) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(d) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Identity card issued by Office of Development Commissioner Handlooms, Ministry of Textiles or the State Governments; or (xi) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries shall register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or its Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3/1/2016-PL]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2017

का.आ. 2217(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार, विद्युतकरघा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 'एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास स्कीम (आईएसपीएसडी)' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) चला रही है जिसके अधीन स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युतकरघा कामगारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के ज्ञान दौरों के लिए उनको प्रति बुनकर औसतन लगभग 4000 रुपए की वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान की जाती है;

और, इस स्कीम के अधीन विभिन्न कलस्टरों के विद्युतकरघा बुनकरों को अन्य विकसित कलस्टरों के अनुभव दौरे पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे उन कलस्टरों में अपनाई गई उन्नत प्रौद्योगिकी, विविधीकृत उत्पादों और विपणन तकनीकों के लाभ से अवगत हो सकें;

और, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से अनुभव दौरों के दौरान विद्युतकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करता है और प्रभावशाली तथा सार्थक विचार-विमर्श को सुकर बनाता है;

और, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात –

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के अपने कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए किसी इच्छुक व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है उसे 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह अपेक्षा करे वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं हैं वहां मंत्रालय, अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

परंतु व्यष्टि को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे दिए जाएंगे, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) नीचे पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (2) में यथानिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अपने आवेदन की एक प्रति; और

(ख) (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस की पासबुक या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड या (iv) पासपोर्ट या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालान अनुज्ञप्ति या (vi) राशन कार्ड या (vii) मनरेगा कार्ड या (viii) किसान फोटो पासबुक या (ix) सरकारी पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किए गए व्यक्ति के फोटो वाले पहचान का प्रमाणपत्र या (x) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा (xi) मंत्रालय द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज।

परंतु यह और कि मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से फायदा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से स्वयं सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-

(1) इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो उन्हें तारीख 30.06.2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों पर स्वयं

नामांकन कराने की सलाह दी जा सकती है और उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण वह आधार के लिए नामांकन न करा पा रहा/रही हो तो मंत्रालय स्वयं अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और फायदाग्राही, मंत्रालय अथवा इसकी क्रियान्वयन एजेंसी अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वैब-पोर्टल के माध्यम से पद अभिहित अधिकारियों को पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक में यथानिर्दिष्ट अपने नाम, पते, मोबाइल नं. और अन्य ब्यौरे प्रदान करके आधार नामांकन के लिए अपने निवेदन को रजिस्टर कराएंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 3/1/2016-पीएल]

ए.मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2017

S.O. 2217(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the Ministry), Government of India is administering the Scheme of **'In-situ Up-gradation of Plain Powerloom for SSI Powerloom Sector'** (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective of developing the Powerloom Sector in a holistic manner by providing financial assistance to the Powerloom Workers (hereinafter referred to as the beneficiaries) in the form of fixing certain additional attachments or kits to improve quality and productivity of the fabric being produced, as per the Scheme guidelines The Scheme is implemented by the Office of the Textile Commissioner through its Regional Offices (hereinafter referred to as the Implementing Agency) as defined under the Scheme;

And whereas, under the Scheme, financial assistance to the extent of 50%, 75% and 90% of the cost of up-gradation to a maximum subsidy of Rupees 40,000/-, 60,000/- and 72,000/- per loom for General, Scheduled Caste and Scheduled Tribe category applicants respectively (hereinafter collectively referred to as the benefits) is provided to the beneficiaries, which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry itself through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at

convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(e) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iv) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(f) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Identity card issued by Office of Development Commissioner Handlooms, Ministry of Textiles or the State Governments; or (xi) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry itself through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries shall register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or its Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3/1/2016-PL]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.25 15:42:30 +05'30'